

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 370]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 28, 2019/माघ 8, 1940

No. 370]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 28, 2019/MAGHA 8, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2019

का.आ. 483(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा त्रिनिदिष्ट NH30 के 0 किमी. से 74.1 किमी. तक के भूखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन कि तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH30 तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम								
1	2	3	4	5	6	7								
1	विशेष भूमि अध्यापिका अधिकारी	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH30 के कि.मी. 70.4 से 74.1 तक	उत्तराखण्ड	ऊधम सिंह नगर	मितारगंज	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>गोरीखेडा</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>मलपुरी</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>इदहा</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>विधाअकबर</td> </tr> </table>	1	गोरीखेडा	2	मलपुरी	3	इदहा	4	विधाअकबर
1	गोरीखेडा													
2	मलपुरी													
3	इदहा													
4	विधाअकबर													

539 GI/2019

(1)

प्रभागीय निर्देशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
शीलीभात

परियोजना निदेशक  
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  
नई दिल्ली

प्रभागीय निर्देशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,  
शीलीभात

						19 लभेड़ा उर्फ बुलन्दनगर
						20 मुन्डियावा
						21 नवाबगंज मिटी
						22 इध जागीर
3	विशेष भूमि अध्यामि अधिकारी	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH30 के कि.मी. 21.7 से 70.4 तक	उत्तर प्रदेश	पीलीभीत	पीलीभीत	1 जहानाबाद
						2 लालपुर
						3 मानपुर
						4 पुरैना
						5 जागीपुर छिटोनिआ
						6 ललौरी खेडा
						7 दौलतगंज मुन्तकिल
						8 दौलतगंज एहतमाली
						9 बालपुर पट्टी एहतमाली
						10 बालपुर पट्टी मुन्तकिल
						11 खरुआ मुन्तकिल
						12 मगराना
						13 हरचुडआ
						14 भानपुर
						15 जैतीपुर
						16 खमरियपुल
						17 शाही
						18 नन्द मिमरिए
						19 बार नवादा
						20 खेडा
						21 मियावरी
					अमरिया	1 वरात बोझ
						2 निमरा

क्षेत्रीय वनाधिकारी  
नगावगंज रेन्ज  
रेली

प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
पीलीभीत

परियोजना निदेशक  
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  
परियोजना कार्यान्वयन इकाई

( 21 की 2 )  
प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,  
रेली

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06052021-226903  
CG-DL-E-06052021-226903

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1658]

No. 1658]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 6, 2021/वैशाख 16, 1943  
NEW DELHI, THURSDAY, MAY 6, 2021/VAISAKHA 16, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मई, 2021

का.आ. 1785(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट NH30 के 0 किमी. से 21.7 किमी., NH30 के 21.7 किमी से 70.4 किमी., NH30 के 70.4 किमी. से 74.1 किमी. तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन कि तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH30 तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	विशेष भूमि अध्यापिका अधिकारी	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	उत्तर प्रदेश	बरेली	नवावगंज	1 अथकटा नजराना

2531 GI/2021

(1)

प्रभागिय निदेशक  
सामाजिक वित्तिय प्रभाग  
शीलीभीत

नवावगंज एरिया  
बरेली

सामाजिक वित्तिय प्रभाग  
शीलीभीत

परियोजना निदेशक  
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिक.  
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, कोसी

(14 मई 2021)  
प्रमुख निदेशक  
सामाजिक वित्तिय प्रभाग,  
बरेली

गण.

		NH30 के कि.मी. 0 से 21.7 तक				2 टांडा सादात
						3 नवदिया रघुनाथ
						4 दुआवट
						5 सैथल
2	विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH30 के कि.मी. 21.7 से 70.4 तक	उत्तर प्रदेश	पीलीभीत	पीलीभीत	1 उगनपुर
						2 सरौरी
						3 सरौरा
						4 गौनेरी बदी
						5 जगदीश पुर
						6 जमलापुर
						7 देवीपुरा
						8 हन्डा
						9 कुकरी खेडा
						10 नूरपुर
						11 विलई पसियापुर
					अमरिया	1 नवादाकंजा
						2 कल्याणपुर चक्रतीर्थ
						3 भगवतीपुर कस्बा
						4 बगवा
						5 पंसोली मुस्तकिल
						6 नगरिया एतमाली
						7 नगरिया मुस्तकिल
						8 नवदिया विसेम
						9 भौना
						10 गाय बोझ
						11 हसन नगर
3	विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	उत्तराखंड	ऊधम सिंह नगर	मितारगंज	1 तुर्कतिसौर





# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28072021-228519  
CG-DL-E-28072021-228519

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2747]  
No. 2747]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 27, 2021/श्रावण 5, 1943  
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 27, 2021/SRAVANA 5, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2021

का.आ. 2953(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट NH-74 (नया NH30) के कि.मी. 27.500 से कि.मी. 58.400 खंड बरेली - पीलीभीत - मितारगंज तक के भूखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन कि तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH-74 (नया NH30) तक की भूमिका अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	उत्तर प्रदेश	पीलीभीत	अमरिया	1 हुमेन नगर

4077 GI/2021

प्रभागीय निर्देशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
पीलीभीत

क्षेत्रीय वनाधिकारी  
नवाबगंज रेन्ज  
बरेली

परियोजना निदेशक  
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बरेली

(सं. 2747/2021)

		NH30 के कि.मी. 27.5 से 58.4 तक				2 महगवां नगरिया
--	--	---	--	--	--	-----------------

[फा. सं. 18001/2/2020/PIU-Brly/Volume-2]

राजेश गुप्ता, निदेशक

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2021

**S.O. 2953(E).**—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from K.m. 27.500 to K.m. 58.400 of the NH-74 (New NH30) stretch Bareilly - Pilibhit - Sitarganj for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of UTTAR PRADESH

### SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH-74 (New NH30) in the State of UTTAR PRADESH.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village				
1	2	3	4	5	6	7				
1	Special Land Acquisition Officer	27.5KM To 58.4KM	UTTAR PRADESH	PILIBHIT	Amariya	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Husain Nagar</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Sahgawan Nagaria</td> </tr> </table>	1	Husain Nagar	2	Sahgawan Nagaria
1	Husain Nagar									
2	Sahgawan Nagaria									

[F. No. 18001/2/2020/PIU-Brly/Volume-2]

RAJESH GUPTA, Director